घरेलू जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव (सामान्य बिक्री प्रतिनिधि) व्यवस्था/मसौदा करार के नियम एवं शर्त

1. कंपनी के कर्तव्य एवं मूल्य निर्धारण

(1) कंपनी, क्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सभी पूछताछों को अपने जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव (सामान्य बिक्री प्रतिनिधि) को अग्रेषित करेगी।

(2) कंपनी, जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव को अनुरोध किए जाने पर कंपनी के उत्पादों के बारे में मूल्य निर्धारण, डिलीवरी और तकनीकी सूचना प्रस्तुत करने के लिए सहमत है क्योंकि ये जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव के बिक्री प्रयासों से संबद्ध हो सकते हैं।

(3) कंपनी नए उत्पादों, जिन्हें विदेशी/घरेलू बाजार में बेचा जा सकता है, की उपलब्धता से संबंधित सूचना जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव को समय-समय पर प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

(4) कंपनी किसी भी पूछताछ के लिए अपने सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य से जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव को अवगत कराएगी।

(5) कंपनी, आर्डर की प्राप्ति पर ऐसे सभी सामानों, जिन्हें जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव द्वारा बेचा जा सकता है, की समय पर डिलीवरी करने के लिए यथा अपेक्षित सामानों के उत्पादन की व्यवस्था करेगी। जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव क्रेता के अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र को देखते ही समय से खोलने का अपना पूरा प्रयास करेगा।

(6) कंपनी, अपने जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव और/अथवा प्रत्यक्ष रूप से क्रेता द्वारा सुरक्षित किए गए आर्डर को स्वीकार करने/निरस्त करने/संशोधित करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है। कंपनी, अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र को तत्काल स्वीकार/निरस्त करने के अपने अधिकार को भी सुरक्षित रखती है यदि इस आर्डर और कंपनी द्वारा स्वीकृत आर्डर में अंतर है।

(7) कंपनी, उत्पादन शुरू करने और आवश्यकताओं को देखते हुए अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र के अनुसार डिलीवरी कार्यक्रम (मों) को निर्धारित करने के अपने अधिकार को भी सुरक्षित रखती है।

(8) जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव सभी आवश्यक सेवाओं की पेशकश करेगा और क्रेता द्वारा बिल का समय से क्लियरेंस करने को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

(9) जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव, एचएचईसी के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले 50,000/-रूपए की ब्याज मुक्त वापसीयोग्य बयाना राशि एचएचईसी को अदा करेगा।

(10) जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव को पहले वर्ष घरेलू बाजार में न्यूनतम 20,00,000 रूपए (बीस लाख रूपए) का व्यवसाय करना होगा। इस दौरान यदि न्यूनतम कार्य-निष्पादन स्तर अर्थात 20,00,000 रूपए (बीस लाख रूपए) प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी 50,000 रूपए (पचास हजार रूपए) की राशि जब्त करेगी और इस करार को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यह खंड........... से प्रभावी होगा। इस करार को कंपनी और जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव के मध्य आपसी लिखित सहमति पर 60 दिन के नोटिस के भीतर निरस्त भी किया जा सकता है। आगामी वर्ष के लक्ष्य इसी साल में निर्धारित कर लिए जाएंगे।

(11) खंड 2 उप खंड (क) से (ढ़) के अंतर्गत करार की किसी शर्त को पूरा न करने के मामले में शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा लिखित में 60 दिन का नोटिस देने के पश्चात करार को निरस्त किया जा सकता है।

2. भुगतान

(1) जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव का घरेलू बाजार के लिए कमीशन 10% (10 प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया जाता है। एचएचईसी का औसत मार्जिन 15% होगा। घरेलू व्यवसाय के लिए एचएचईसी का निवल मार्जिन 15% होगा। कमीशन का भुगतान बिक्री आय की वसूली के पश्चात किया जाएगा।

(2) कमीशन, घरेलू बाजार में जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव द्वारा सुरक्षित किए गए सभी आर्डरों के लिए पात्र है।

3. रिप्रजेंटेटिव के कर्तव्य

(1) जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव नियमित आधार पर नमूना रेंज का उन्नयन करने के लिए ऐसी परामर्शी पेशेवर सेवाएं भी प्रदान करेगा जो घरेलू बाजार के लिए श्रेष्ठ हों। डिजाइन और तकनीकी परामर्श के लिए सेवा प्रभार तथा

प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए फीस का निर्धारण अलग-अलग मामलों के आधार पर किया जाएगा।

(2) सेल्स रिप्रजेंटेटिव, कंपनी के उत्पादों के प्रचार के लिए अपनी जिम्मेदारी और खर्च पर रिप्रजेंटेटिव की तैनाती कर सकता है।

(3) सेल्स रिप्रजेंटेटिव किसी देश के लिए उप-एजेंटों की नियुक्ति ऐसे नियमों एवं शर्तों पर कर सकता है जिसे रिप्रजेंटेटिव उपयुक्त मानता है। तथापि, कंपनी, सेल्स रिप्रजेंटेटिव और इसके उप-एजेंटों के मध्य किसी सौदेबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(4) सेल्स रिप्रजेंटेटिव, कंपनी द्वारा जारी किए गए निर्देशों को छोड़कर कंपनी की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं देगा।

(5) सेल्स रिप्रजेंटेटिव इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर कंपनी के उत्पादों के आर्डर बुक कर सकेंगे। नियम एवं शर्तें कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों अथवा निर्देशों द्वारा परिवर्तन के अध्यधीन होंगी और सेल्स रिप्रजेंटेटिव, कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(6) जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव अपने खर्च पर यथा उल्लिखित कंपनी के उत्पादों के लिए घरेलू बाजार को कवर करेगा।

4. करार की अवधि

यह करार 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। एक वर्ष के पश्चात कार्य-निष्पादन की समीक्षा पर, यदि न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है, तो करार को आपसी सहमति पर करार की शेष अवधि के लिए जारी रखा जाएगा। तथापि, लक्ष्य केवल पहले साल के लिए ही होंगे। आगामी वर्ष के लक्ष्य इसी साल में निर्धारित कर लिए जाएंगे।

जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव यथा उल्लिखित कंपनी के उत्पादों के लिए विदेशी/घरेलू बाजार को कवर करेगा।

5. कोई रोजगार संविदा नहीं

इस करार में ऐसा कुछ निहित नहीं है जिससे सेल्स रिप्रजेंटेटिव कंपनी के साझेदार, नौकरी पर रखने अथवा एजेंट के रूप में माना जाएगा और न ही किसी भी पक्ष को किसी भी तरह से दूसरे पक्ष को यह बाध्य करने का प्राधिकार नहीं होगा कि इसका यह आशय लगाया जाए कि सेल्स रिप्रजेंटेटिव एक स्वतंत्र संविदाकार है।

6. करार की समाप्ति

(1) इस करार की समाप्ति पर चाहे वह समयावधि की समाप्ति अथवा अन्यथा हो कंपनी, एजेंसी की अवधि के समाप्त होने के पश्चात प्राप्त हुए आर्डरों के लिए सेल्स रिप्रजेंटेटिव को कोई कमीशन देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) समाप्ति पर जिम्मेदारी:-इस करार के अंतर्गत उसके द्वारा सेवाओं के कार्यनिष्पादन के दौरान सेल्स रिप्रजेंटेटिव द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के सभी कागजात वर्तमान करार के अस्तित्व के दौरान और इसकी समाप्ति पर कंपनी की संपत्ति होंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा सेल्स रिप्रजेंटेटिव को इस करार के अंतर्गत इस संबंध में अथवा सेल्स रिप्रजेंटेटिव की सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रदान की गई कोई सामग्री, सूचना, जानकारी इस करार की समाप्ति पर कंपनी को तुरंत लौटा दी जाएगी।

7. पत्राचार

जब तक अन्यथा सहमत न हो, इस करार के संबंध में किसी भी मामले के बारे में पत्राचार के लिए पते निम्नलिखित होंगे:-

कंपनी के लिए

दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
'नोएडा कॉम्पलैक्स'
ए-2, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,
नोएडा 201301, उत्तरप्रदेश

सेल्स रिप्रजेंटेटिव के लिए

----

8. गोपनीयता

गोपनीयता की बाध्यता

इस करार के अंतर्गत सेवाओं के कार्य-निष्पादन में 'कंपनी की गोपनीय सूचना' जिसे सेल्स रिप्रजेंटेटिव उजागर कर सकता है और उपयोग के लिए अपेक्षित हो सकती है, कंपनी के अलावा किसी व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन के लाभ के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सेल्स रिप्रजेंटेटिव अथवा उसके कर्मचारियों, एजेंटों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाएगी और सेल्स रिप्रजेंटेटिव या तो इस करार की अवधि के दौरान या अवधि समाप्त होने के पश्चात कंपनी के निदेशक की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी गोपनीय सूचना प्रकट नहीं करेगा। सेल्स रिप्रजेंटेटिव गोपनीयता का कड़ाई से पालन करेगा और कंपनी की ऐसी कोई और सभी मालिकाना अथवा गोपनीय सूचना, जिसे सेल्स रिप्रजेंटेटिव प्राप्त कर सकता है अथवा अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उसे इनकी जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित सीमा को छोड़कर किसी भी समय इनका उपयोग नहीं कर सकता है।

9. आचरण के मानक

इस करार के अंतर्गत सेवाएं देने में जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव किसी समझौता वार्ता के दौरान किसी पार्टी, क्रेता, खरीददार, ब्रांड के लिए कंपनी के प्रतिनिधि अथवा कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा और कार्य के उच्च पेशेवर मानकों तथा व्यावसायिक नैतिकता के अनुरूप कार्य करेगा। सेल्स रिप्रजेंटेटिव कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई सामग्री और/अथवा कंपनी की किसी सूचना का उपयोग नहीं करेगा। सेल्स रिप्रजेंटेटिव ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा अथवा कोई सहायता स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगा जिसके परिणाम किसी अन्य कंपनी अथवा व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन के हित में हों जिससे वह कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के लिए किए गए कार्य के परिणामों में किसी भी तरह के अधिकारों की मांग करें।

10. कर

जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव इस करार के अंतर्गत भुगतान की गई राशियों से सृजित सभी करों के लिए जिम्मेवार होगा और अपने कर्मचारियों की सभी वेतन नामावली करों तथा अनुषंगी लाभों के लिए जिम्मेवार होगा। सरकार द्वारा लगाया गया सेवा कर लेन-देन संबंधी फीस पर लागू होगा और बीजक बनाते समय मौजूद दर पर लागू होगा और फीस हर समय विदहोल्डिंग कर, यदि लागू हो, सहित भारतीय कानून के अध्यधीन होगा।

11. लाभ

जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव और इसके कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन, स्वास्थ्य, कल्याण अथवा कंपनी के अन्य अनुषंगी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे और इनमें भाग नहीं लेंगे। सेल्स रिप्रजेंटेटिव अथवा इसके कर्मचारियों को शामिल करके कंपनी द्वारा कोई कामगार प्रतिपूर्ति बीमा योजना प्राप्त नहीं की जाएगी।

12. क्षतिपूर्ति

किसी तृतीय पक्ष को कंपनी से संबंधित किसी तथ्य, जानकारी, आंकड़े, अनुभव अथवा सूचना को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के कारण अथवा जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव के इरादतन कदाचार अथवा घोर लापरवाही के कारण हुए किसी नुकसान, क्षति, हानि अथवा घाटे के लिए सेल्स रिप्रजेंटेटिव स्वयं जिम्मेवार होगा। सेल्स रिप्रजेंटेटिव के विरूद्ध किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए दावों अथवा मुकदमों अथवा देनदारियों का वहन करने अथवा इनसे संबंधित न्याय निर्णयों से सेल्स रिप्रजेंटेटिव का बचाव करने और इस करार के तहत सेल्स रिप्रजेंटेटिव द्वारा कंपनी को दी गई न्यून सेवाओं से अद्यतन क्षतिपूर्ति करने और उसे हानि रहित करने की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी।

13. हित का टकराव

जनरल सेल्स रिप्रजेंटेटिव इस करार की अवधि के दौरान कंपनी के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी को तब तक किसी प्रकार अथवा किसी क्षमता से कोई सेवा प्रदान नहीं करने का वचन देता है और सहमत है जब तक कि कंपनी के अध्यक्ष द्वारा

ऐसा करने के लिए लिखित अनुज्ञा नहीं दी गई हो। इस करार के प्रयोजनार्थ कंपनी के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में परिभाषित व्यक्ति, साझेदार, निगम और/अथवा अन्य व्यवसायिक कंपनी हो सकती है जो खंड 1(क) में उल्लिखित समान व्यवसाय कर रही हो।

14. शर्तों का लागू होना

यदि इस करार का कोई उपबंध सक्षम न्यायालय की एक अदालत द्वारा अप्रवर्तनीय रखा गया है, तो उस उपबंध की तामील की जाएगी और शेष उपबंधों की वैधता अथवा प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी।

15. संशोधन

इस करार अथवा इसके किसी उपबंध का कोई संशोधन, समाप्ति अथवा छूट का प्रयास तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पक्ष, जिसके विरूद्ध इसे लागू किए जाने की मांग की गई है, द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।

16. उल्लंघन की छूट

किसी अन्य पक्ष द्वारा इस करार के किसी उपबंध का उल्लंघन किए जाने पर किसी पक्ष द्वारा छूट संचालित नहीं होगी अथवा किसी अन्य अथवा उल्लंघन में पक्ष द्वारा आगामी उल्लंघन की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।

17. उत्तराधिकारी और सुपुर्दगी

इस करार को सेल्स रिप्रजेंटेटिव द्वारा किसी तृतीय पक्ष को किसी भी परिस्थिति में नहीं सौंपा जाएगा। इस करार के लाभ और बाध्यताएं इसके सेल्स रिप्रजेंटेटिव, उसके उत्तराधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा और काम में आएगा।

18. कोई टकराव नहीं

सेल्स रिप्रजेंटेटिव गारंटी देता है कि उसने पूर्व में ऐसी कोई बाध्यता नहीं ली है जो इस करार के अंतर्गत सेल्स रिप्रजेंटेटिव द्वारा की गई उन बाध्यताओं के असंगत हो।

19. समग्र करार

इस लेखन में पक्षों का समग्र करार शामिल है और कोई अन्य करार, अभ्यावेदन अथवा वारंटी नहीं है। यहां उल्लेख नहीं किया गया है।

20. विवाद समाधान

इस करार में से अथवा इस संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न किसी और सभी विवादों, झगड़ों, मतभेदों अथवा इनसे संबंधित उल्लंघनों का निपटारा कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सोल आर्बिट्रेटर की मध्यस्थता में अंतिम रूप से किया जाएगा। सोल आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान केवल नई दिल्ली होगा तथा मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

21. अधिकार क्षेत्र

दोनों पक्ष परस्पर रूप से सहमत हैं कि इस करार से तथा इससे उत्पन्न कोई/सभी विवाद/मामलों के विचारण और निपटारे का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र केवल नई दिल्ली स्थित अदालतें ही होंगी।